


2025/51

08.01.2026

पत्रावली पेश हुई।  
वादी एवं उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं।  
आज अदालत समय में रूक-रूक कर तीन बार आवाजे दिलवाये जाने  
के बावजूद वादी एवं उनके वकील में से किसी के उपस्थित नहीं होने पर  
उक्त वाद अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 2 व आदेश 9 नियम 3 के तहत  
अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

  
महायक कलक्टर  
गडरायेड

